

5

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

प.18(36)नविवि/NAHP/2014पार्ट

जयपुर, दिनांक 28 FEB 2018

संशोधन पत्र

विषय:-मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन बाबत।

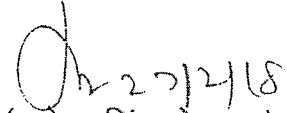
मुख्यमंत्री जन आवास योजना के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन बाबत दिनांक 20.02.2018 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या-1 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान-1A में 5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल की फ्लैटेड डवलपमेंट की योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी हेतु वर्तमान प्रावधान निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के वर्तमान प्रावधान के अनुसार 5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल की फ्लैटेड डवलपमेंट की योजनाओं में कुल एफ.ए.आर. का 7.5 प्रतिशत एफ.ए.आर. क्षेत्र का शुल्क राशि रु. 100/- प्रति वर्गफीट लिये जाने का प्रावधान है। 5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल की फ्लैटेड डवलपमेंट की योजनाओं में कुल बी.ए.आर. क्षेत्र का 5 प्रतिशत बी.ए.आर. (7.5% FAR) क्षेत्र पर राशि रु. 100/- प्रति वर्गफीट के हिसाब से लिया जावे।

अथवा

विकासकर्ता यदि चाहे तो 5 प्रतिशत बी.ए.आर. (7.5% FAR) ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी हेतु निर्मित कर सकता है। उक्त रवीकृत किये जाने वाले बी.ए.आर. की एवज में प्रोत्साहन स्वरूप 0.75 बी.ए.आर. निःशुल्क स्टैण्डर्ड बी.ए.आर. के अतिरिक्त अनुज्ञेय किया जाता है, जैसा की एकीकृत भवन विनियम-2017 के विनियम संख्या 8.2.1 (य)(xii & xiii) में वर्णित है। ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी हेतु निर्मित आवास पॉलिसी में निर्धारित आवंटन दर पर नियमानुसार आवंटन किये जावेगें।


(राजेन्द्र सिंह शिवरावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम